प्र.सं. 05/2019 अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 एलआरएक्ट
शिवनारायण बनाम सरकार
जीसीएमएस : 2019/00019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
05.01.2022	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैंप ग्रा. पं. ठाकरी में पेश हुई। शिविर में रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर दिनांक 05.01.2022 पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि चक ठाकरी ए के रिकार्ड संवत 2069–72 खाता सं. 183 मु.नं. 98 प.नं. 225/308 में 2.024है. बारानी खातेदारी भूमि वादी के नाम से हैं। वादी का वास्तविक नाम शिवनारायण है, मगर वादी को बाल्यकाल में उसके माता पिता व परिवार के सदस्यों द्वारा श्योनारायण के नाम से पुकारते थे। अन्य दस्तावेजों एवं 42 एनपी के विरासतन प्राप्त भूमि जमाबंदी में वादी का नाम शिवनारायण ही दर्ज किया जाता रहा हैं। वादी को उक्त भूमि स्थायी आवंटन में प्राप्त हुई हैं। आवंटन प्रार्थना पत्र में वादी का नाम शिवनारायण ही दर्ज करवाया था, लेकिन सहवन से श्योनारायण पुत्र लालूराम दर्ज कर दिये जाने के कारण आवंटन आदेश व सनद खातेदारी श्योनारायण नाम से जारी कर दी गयी। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ठाकरी ए खाता सं. 183 मु.नं. 98 प. नं. 225/308 में वादी का नाम श्योनारायण के स्थान पर शिवनारायण दर्ज किये जाने की डिक्री पारित कर शिवनारायण के नाम से खातेदार घोषित करने अथवा शिवनारायण उर्फ श्योनारायण दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर शिविर में रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मजमे आम में जांच करने पर श्योनारायण व शिवनारायण एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। जो शिवनारायण किया जाना उचित हैं। अतः रिपार्ट तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर दुरूस्ती की जानी उचित प्रतीत होती हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक ठाकरी ए तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता सं. 215 के प.नं. 225/308 मु.नं. 98 के 0.949है. बारानी भूमि के खातेदार श्योनारायण पुत्र लालूराम के स्थान पर शिवनारायण उर्फ श्योनारायण पुत्र लालूराम की दुरूस्ती कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी। [illegible] एवं डिक्री की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर [illegible] लिखायी जाकर निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05.01.2022 [illegible] मजमा–ए–आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Arpita Soni Date: 2022.02.21 17:44:14 IST Reason: SelfAttested (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प – ठाकरी	